



Neutral Citation No - 2026:AHC:28597

इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
रिट-ए संख्या - 2026 की 1892

वज़ीर बेग

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बब्बू राम  
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बब्बू राम वर्तमान रिट याचिका का प्रत्याहरण चाहते हैं, नूतनतः दाखिल करने की स्वतंत्रता सहित।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता सहित प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाती है।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"